

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ-4/109/2019/10-11/3608

भोपाल, दिनांक 23-10-20

प्रेषक,

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:— Diversion of 20.686 ha (instead of 24.00 ha) Reserved Forest land for laying of 33 KV Electric line from village-Chiriyia to Titraniya for providing Electrical supply to 33/11 KV Sub Station a Village-Titraniya in favour of Executive Engineer, Madhya Pradesh Paschim Kshetra Viduya Vitran Company Ltd in Khargone district of Madhya Pradesh.

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 029/2019-BHO/732 दिनांक 02.07.2019

—0—

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 029/2019-BHO/732 दिनांक 02.07.2019 से अधिरोपित शर्तों के तहत सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए लेख किया गया है कि सैद्धान्तिक सहमति में समस्त अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जावेगा।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यपालन यंत्री, म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कम्पनी लिमिटेड, खरगौन के पत्र पृ0 क्रमांक/5399 दिनांक 10.07.2020 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:—

शर्त क्र.	अधिरोपित शर्त	शर्तों का पालन प्रतिवेदन
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	सहमत।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रस्ताव में आवेदक से किसी प्रकार की गैर वन भूमि प्राप्त नहीं की जाना है।

—2—

3.	Compensatory afforestation: CA is proposed over 41.37 ha degraded forest land (Survey No 917, Gram Van Samiti-Rajpura, Gram Panchayat-Rajpura, District-Khargone, CA scheme is for 10 years. at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रु. 1,31,89,908/- ई-पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.05.2020 को एड-हॉक कैम्पा मद में जमा कराई गई है।
4.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipate cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रु. 1,31,89,908/- ई-पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.05.2020 को एड-हॉक कैम्पा मद में जमा कराई गई है।
5.	NPV :	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 20.686 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24/04/2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guideline issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	आवेदक द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रु. 1,29,49,436/- ई-पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.05.2020 को एड-हॉक कैम्पा मद में जमा कराई गई है।
b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	सहमत। वचन पत्र संलग्न है।

6.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land upto 33 number of trees and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	सहमत। वचन पत्र संलग्न है।
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	आवेदक विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की सभी राशियां एड-हॉक कैम्पा के माध्यम से जमा की गई है।
8.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector along with the compliance report of Stage-II approval.	कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति, खरगौन का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
9.	CA scheme for 10 years shall be submitted along with the compliance report of Stage-II approval.	संलग्न है।
10.	Certified SoI map and Geo-referenced map of CA land and proposed area for diversion shall be submitted along with the compliance report of Stage-II approval.	संलग्न है।
11.	The user agency in consultation with State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department.	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खरगौन ने अपने पत्र दिनांक 13.10.2020 से अवगत कराया गया है कि चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. विद्युत लाईन कक्ष क्रमांक 895, 742, 898, 901, 893, 892, 891 एवं परिक्षेत्र तितरान्या के कक्ष क्रमांक 881, 890 एवं 905 से होकर गुजर रही है, जिसके अधिकांश भाग रोड़ से लगा हुआ एवं कृषि भूमि, पहाड़ी, ढलानी एवं पथरीली होने के कारण उक्त कक्षों में प्रस्तावित योजना अंतर्गत औषधीय वृक्षारोपण हेतु योग्य उपयुक्त भूमि नहीं होने से वृक्षारोपण किया जाना असम्भव है।
12.	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	सहमत।

13.	The user agency shall comply with the guideline for laying transmission lines through forest issued by Ministry vide letter No. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014 and chapter 10 of F(C)A, 1980 Handbook 2019.	सहमत ।
14.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	सहमत ।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	सहमत ।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	सहमत ।
17.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	सहमत ।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	सहमत ।
19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	सहमत ।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	सहमत ।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	सहमत ।
22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	सहमत ।
23.	Violation of any of these conditions will amount to violations of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as Per para 1.21 of FCA Act 1980, Handboo 2019.	सहमत ।

24.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	सहमत ।
25.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in/);	पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है ।

उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय


23/10/2020
(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-4/109/2019/10-11/3609

भोपाल, दिनांक 23-10-20

प्रतिलिपि:-

3. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश ।
4. वनमण्डलाधिकारी (सा.) वन मंडल, खरगौन, मध्यप्रदेश ।
5. कार्यपालन यंत्री, (संचा/संधा) म0प्र0प0क्षे0वि0कं0लिमिटेड, खरगौन द्वितीय, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


23/10/2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

0/C

PROFORMA FOR VERIFICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Bhopal
2	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates	State : M.P. District : Khargone Division : Khargone
3	Name of User Agency, nature of proposal	Executive Engineer, Madhya Pradesh Paschim Kshetra Viduya Vitran Company Ltd in Khargone district of Madhya Pradesh
4	nature and category of proposal	Village Electricity
5	Proposal number	FP/MP/VELEC/37708/2018
6	Extent of forest area involved	20.686 ha (instead of 24.00 ha)
7	Whether original or extension	Original
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	NA
9	Date of 1st stage clearance	02/07/2019
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz,; (a) Compensatory Afforestation: (b) Additional CA (c) Penal CA (d) Catchment Area Treatment (e) Wildlife Project cost (5%) (f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas (g) Net Present Value (h) Medicinal Plantation (i) Any Other Charges /levies (Please specify)	a) 1,31,89,908 /- b) N/A c) N/A d) N/A e) N/A f) N/A g) 1,29,49,436/- h) N/A i) N/A
	Total	2,61,39,344/-

Whether payment made through challan of otherwise in case of online payment details of challan		Through RTGS					
Details of deposits							
S No.	Type of deposit (NPV/CA/IWMP/Others (specify))	Whether by RTGS/DD/NEFT (specify)	UTR / DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank from which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA	NEFT/RTGS	-	1,31,89,908 /-	22/05/2020	Corporation Bank , New Delhi	Corporation Bank , New Delhi
2	NPV	NEFT/RTGS		1,29,49,436/-	22/05/2020		
Total				2,61,39,344/-			


 (Sunil Agarwal)
 APCCF (Land Management)
 & Nodal officer FCA
 Madhya Pradesh, Bhopal

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फेक्स : 235388, ई-मेल : dfotkgone@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2020/

प्रति,

7884

खरगोन, दिनांक

22/10/2020

✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल

विषय :- Diversion of 20.686 ha. (instead of 24.00 ha) Reserved Forest land for laying of 33 KV Electric line from village Chiriyia to Titraniya for providing Electrical supply to 33/11 KV Sub Station at village Titraniya in favour of Executive Engineer, M.P.P.K.V.V.C.Ltd, Khargone.

संदर्भ :- आपका पत्र / क्रमांक / एक-4 / 109 / 2019 / 10-11 / 3474 दिनांक 13.10.2020।

निवेदन है कि संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी का प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

अ.क्र	शर्त	शर्त विवरण
1	2	3
1	शर्त संख्या-11 के तहत औषधीय वृक्षारोपण बनाकर उसकी राशि कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा करावे।	शर्त संख्या-11 से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./7586 दिनांक 13.10.2020 द्वारा प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
2	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रपत्र-1 में कलेक्टर जिला खरगोन से प्राप्त कर प्रेषित करें।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रपत्र-1 में कलेक्टर जिला खरगोन के पत्र क्रमांक/1578/Traibal/FRA दिनांक 15.10.2020 से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
3	10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के साथ वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की टोपोशीट एवं जियो रिफरेंस मेप प्रति	10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के साथ वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की टोपोशीट एवं जियो रिफरेंस में प्रति शर्तों के पालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./5398 दिनांक 10.07.2020 के साथ प्रेषित की गई है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न :- अतः योजना की स्वीकृति में उपरोक्तानुसार अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन सम्प्रेषित है।
उपरोक्तानुसार।

(जे.एस.भार्गव)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./2020/

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर उक्त संदर्भित पृष्ठांकन के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित है।

2. कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., खरगोन द्वितीय की ओर आपके पत्र क्रमांक/1599/कापायं/सामान्य/2020-21 दिनांक 17.10.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फ़ैक्स : 235388, ई-मेल : dfotkgone@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 /
प्रति,

7586

खरगोन, दिनांक 13/10/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्षा भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय :- Diversion of 20.686 ha. (instead of 24.00 ha) Reserved Forest land for laying of 33 KV Electric line from village Chiriya to Titraniya for providing Electrical supply to 33/11 KV Sub Station at village Titraniya in favour of Executive Engineer, M.P.P.K.V.V.C.Ltd, Khargone.

- संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक/6-MPC 029/2019 -BHO/732 दिनांक 02.07.2019 ।
2. आपका पत्र क्रमांक/एफ-4/109/2019/10-11/2288 दिनांक 17.07.2020 ।

— " —

निवेदन है कि विषयांकित योजना में प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृत जारी की गई थी जिसमें शर्त क्रमांक-11 में औषधीय वृक्षारोपण की योजना बनाकर उसकी राशि कैम्पा मद में आनलाईन जमा करायी जाकर अनुपालन प्रतिवेदन आपके द्वारा संदर्भित पत्र से चाहा गया है।

आपके संदर्भित पत्र से दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय से उप वनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव से उक्त योजना में प्रभावित वनभूमि 20.686 हे. पर (3.00 मी. पट्टी एवं 2.00 मीटर गेप प्लांटेशन) 7.00 वर्षीय औषधीय वृक्षारोपण की योजना तैयार कर चाही गई थी, जिसके पालन में उप वनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.चि. /2020/1134 दिनांक 28.09.2020 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. विद्युत लाईन कक्षा क्रमांक-895, 742, 898, 901, 893, 892, 891 एवं परिक्षेत्र तितरान्या के कक्षा क्रमांक-881, 890 एवं 905 से होकर गुजर रही है जिसका अधिकांश भाग रोड़ से लगा हुआ एवं कृषि भूमि, पहाड़ी, ढलानी एवं पथरीली होने के कारण उक्त कक्षाओं में प्रस्तावित योजना अन्तर्गत औषधीय वृक्षारोपण योग्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने से वृक्षारोपण किया जाना असंभव है। जिस बाबद् उप वनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव के दर्शित पत्र की छायाप्रति मय अभिलेखों के संलग्न प्रस्तुत है।

अतः कृपया शर्त क्रमांक-11 के अनुपालन में आगामी कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरी ।

(जे.एस.भार्गव)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन दिनांक 13/10/2020

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

पृष्ठा. क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 7587

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर उक्त संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित है।

FORM-1

(For Linear Projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Khargone

1578
Ref No./-----Tribal/FRA/2020

Date 14-5-2020

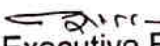
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No.11.9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest rights) ACT 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that in compartment No RF 895,742,898,901,893,892,891,881,890,905, Total 20.686 h.a. For the Construction of 33/11 kv Vidhyut line for purpose in Khargone District falls within jurisdiction of Damkheda, Narval, Titaraniya and Dhupikhurd Gram panchayat Titaraniya Tehsil Zimiy

It is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for entire 20.686 hectares forest area proposed for diversion.
- (b) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed N.A.
- (c) The proposal does not involve recognises rights primitive tribal Groups and pre agricultural Communities.


District Forest Officer
Khargone


Executive Engineer
MPPKVCL Khargone-II


Collector
District Khargone


District Collector
Khargone



Phone No. :- (07282)- 234553, 231377



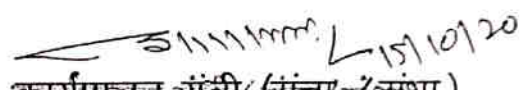
E-mail ID :- eekhargone@rediffmail.com, eekhargonempeb@gmail.com

क. / कापायं / संचा-संधा / सामा. / 20-21

दिनांक.

//वचन-पत्र//

म.प्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, खरगोन द्वितीय संभाग की प्रस्तावित 33 केव्ही विद्युत लाईन चिरिया से तितरान्या की स्वीकृति में माननीय उच्च न्यायालय/भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के अतिरिक्त योजना से प्रभावित वन भूमि को शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि वन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए एवं भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य पुनरीक्षित होने पर देय राशि के भुगतान हेतु म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, खरगोन द्वितीय संभाग वचनबद्ध है।


कार्यपालन यंत्री (संचा-संधा.)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.खरगोन द्वितीय

प्रति,

अधीक्षण यंत्री
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.
खरगोन वृत्त

मध्य प्रदेश
MADHYA PRADESH

FIRST EDITION

NO. 46 9



LEGEND

Symbol	Description
[Symbol]	[Description]
[Symbol]	[Description]
[Symbol]	[Description]
[Symbol]	[Description]
[Symbol]	[Description]

Scale in Feet

0	1	2	3	4	5
0	1	2	3	4	5
0	1	2	3	4	5

1:50,000

MEASURES & CONVERSIONS IN METERS

मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश सरकार

SHARAT
INTERNATIONAL PUBLISHERS

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, खरगोन सामान्य वनमंडल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फेक्स : 235388, ई-मेल : कविीतहवद/उचवितमेजवतह

क्रमांक/मा.चि./2020/

5398

खरगोन, दिनांक 10/07/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
खण्डवा वृत्त, खण्डवा

- विषय :-** Diversion of 20.686 Ha. (Instead of 24.00 Ha) Reserved forest land for Laying of 33 KV Electric Line from village Chiriya To Titraniya for Providing Electrical Supply to 33/11 KV sub staion Village Titraniya in fevour of executive Engineer, MPPKVVC LTD. Khargone
- संदर्भ :-** 1.भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक/6-MPC 029/2019-BHIO/732 दिनांक 02-07-2019 ।
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-4 /109/2019/10-11/2207 दिनांक 04.07.2019 ।

—:—

संदर्भित पत्र क्रमांक-01 द्वारा खरगोन जिले में म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. खरगोन (द्वितीय) की 33 के.व्ही विद्युत लाईन चिरीया से तितरान्या योजनान्तर्गत प्रभावित होने वाली वनभूमि 20.686 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई है।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, (संचा/संधा) म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. खरगोन (द्वितीय) द्वारा उक्त सैद्धांतिक अनुमति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/880/का.पा.यं/संचा-संधा/सामा./2020-21 दिनांक 23.06.2020 से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, विवरण इस प्रकार है :-

शर्त क्रमांक	शर्त	शर्तों का पालन
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	परियोजना के लिये गैर वनभूमि प्रस्तावित नहीं है।
3	Compensatory afforestation: CA is proposed over 41.37 ha degraded forest land (Survey No 917, Gram van Samiti-Rajpura, Gram panchayat-Rajpura, District-Khargone. CA Scheme is for 10 yers. at the cost of the user agency. AS far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	अनुमोदित 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अनुसार आवेदक विभाग से प्राप्त राशि से स्थानीय प्रजातियों का रोपण कराया जायेगा।
4	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required of the CA land shall be deposited in advance with the forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipte cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि के बदले दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र वन परिक्षेत्र चिरीया की वन परिसर राजपुरा के कक्ष क्रमांक-917 में 41.372 हे. में क्षतिपूर्ति वनीकरण की आवश्यक राशि रुपये 13189908/- (रुपये-एक करोड़ इकतीस लाख उननब्बे हजार नौ सौ आठ मात्र) आर.टी.जी.एस. नम्बर 979026 दिनांक 21.05.2020 एवं चालान क्रमांक-3855 दिनांक 22.05.2020 द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन जमा कराई गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5 A	The state Government shall charge the Net present value (NPV) for the 20.686 ha forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of the Hon'ble supreme court of india dated 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09-2003, as well as letter No 5-2/2006-FC dated 03-10-2006 and 5-3/2007-FC dated 05-02-2009 in this regard.	(A) आवेदक विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मुल्य (NPV) की आवश्यक राशि रुपये 12949436/- (रुपये-एक करोड़ उन्तीस लाख उनपचास हजार चार सौ छत्तीस मात्र) आर.टी.जी.एस. नम्बर 979026 दिनांक 21.05.2020 एवं चालान क्रमांक-3855 दिनांक 22.05.2020 द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन जमा कराई गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।

5 B	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme court of india on receipt of the report from the Expert committee, shall be charged by the state Government from the user Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.	(B) वांछित वचन पत्र संलग्न है।
6	User agency Shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land upto 33 number of trees and the trees shall be felled under the strict supervision of the state forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user Agency with the State Forest Department.	आवेदक विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि पर खड़ी वनोपज के विदोहन व्यय हेतु आवश्यक राशि रुपये 1322215/- (रुपये-तेरह लाख बाईस हजार दो सौ पन्द्रह मात्र) म.प्र. कोषालय की वेब साईट पर ऑनलाईन चालान क्रमांक- SBIN00061590406 1006202083213 दिनांक 10.06.2020 एवं चालान क्रमांक-SBIN000615904061006202082787 दिनांक 10.06.2020 से जमा करायी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।
7	All the funds received from the user Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	उपयोगकर्ता विभाग से ई-पोर्टल के माध्यम से राशि वसूल की गई है।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector along with the complinace report of stage-II approval.	वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, जिला खरगोन के पत्र क्रमांक/312/2019 दिनांक 15.04.19 से जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
9	CA scheme for 10 years shall be submitted along with the compliance report of stage-II approval	वैकल्पिक वृक्षारोपण की अनुमोदित 10 वर्षीय योजना की छायाप्रति संलग्न है।
10	certified Sol map and Geo-referenced map of CA land and proposed area for diversion shall be submitted along with the complinace report of stage-II approval	संलग्न है।
11	The user agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the state forest Department.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
12	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
13	The user Agency shall comply with the guideline for laying transmission lines through forest issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05-05-2014&19-11-2014 and chapter 10 of F (C) A, 1980 Handbook 2019.	आवश्यक नहीं
14	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986, if applicable.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central Government.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
16	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।

17	sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided by the user Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest Department or the forest Development corporation or any other legal source of alternate fuel.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional forest Officer	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India	आवेदक विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
23	Violation of any of these conditions will amount to violations of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per para 1.21 of FC Act 1980, Handbook 2019.	आवेदक विभाग से शर्त का पालन कराया जायेगा
24	Any other condition that the ministry of Environment, forest & climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	आवेदक विभाग द्वारा समस्त शर्तों के पालन का वचन पत्र संलग्न है।
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in/)	ई-पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अतः योजना की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन में वचन-पत्रों की छायाप्रति के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न :- यथोपरी।

(जे.एस.भार्गव)
वनमंडलाधिकारी

०/८ सामान्य वनमण्डल खरगोन
खरगोन, दिनांक 10/07/2020

पृ. क्रमांक/मा.चि./2020/5399

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी

०/८ सामान्य वनमण्डल खरगोन
खरगोन, दिनांक 10/07/2020

पृ. क्रमांक/मा.चि./2020/5400

प्रतिलिपि :- कार्यपालन यंत्री, (संचा/संधा) म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., खरगोन द्वितीय की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खरगोन

०/८

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



परियोजना का नाम	:- 33 के.व्ही.विद्युत लाईन चिरीया से तितरान्या
वनमण्डल	:- सामान्य, खरगोन
वन परिक्षेत्र का नाम	:- चिरीया
वन परिसर/ग्रामवन समिति	:- राजपुरा
वैकल्पिक वृक्षरोपण स्थल	:- कक्ष क्रमांक-917
प्रस्तावित रकबा	:- 41.37 हे.
योजना की अवधि	:- 2019-20 से 2028-29 तक
लागत राशि	:- रुपये 14508898/-

परियोजना प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

परिचालन स्थल का विवरण :-

कैम्पा नद अंतर्गत चिरीया से तितरान्या 33 कै.मी.

लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

1. कक्ष क्रमांक :- 917
2. रकबा :- 41.37 हेक्टर
3. ग्राम वन समिति :- राजपुरा
4. ग्राम पंचायत :- राजपुरा
5. विकासखण्ड :- झिरन्या
6. विधान सभा क्षेत्र :- भीकनगांव
7. पीट :- राजपुरा
8. सदरेंज :- झिरन्या
9. परिक्षेत्र :- चिरीया
10. उप वनमण्डल :- भीकनगांव
11. वन मण्डल :- खरगोन सामान्य

परिचालन कार्य :-

सर्वेरीमाफन कार्य, क्षेत्र सफाई कार्य, गड़डा खुदाई,

प्रसविदी देल, पील गाड़ना एवं वास्वेडवायर फेंसिंग कार्य

तलाई, निनीया आरुएमएस, निर्माण, चकडेम आदि

आगोना, गारा, सफेद खेड, ओजला, नीम, महुआ, चिरोल

परियोजना का उद्देश्य :-

1. ग्राम वन समिति के माध्यम से वन क्षेत्र की सुरक्षा निश्चित करना।

2. स्थानीय लोगों को वन क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना।

3. वन क्षेत्र में वृक्षारोपण के माध्यम से वन क्षेत्र की सुरक्षा निश्चित करना।

4. वन क्षेत्र में वृक्षारोपण के माध्यम से वन क्षेत्र की सुरक्षा निश्चित करना।

6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट वनमण्डल खरगोन के परिक्षेत्र चिरीया की सवरेंज चिरीया के अंतर्गत बीट राजपुरा के कक्ष क्रमांक 917 जो कि परिक्षेत्र चिरीया मुख्यालय से लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बीट राजपुरा अतिक्रमण हेतु काफी संवेदनशील है। प्रस्तावित परियोजना प्रोजेक्ट कार्य वृत्त बिगड़े वनों के सुधार अंतर्गत उपचार श्रेणी बोन्दरान्या कूप क्रमांक- XI रकबा 177.78 हे. तथा कक्ष क्रमांक 917 का कुल रकबा 177.78 हे. है। जिसमें से 41.37 हे. क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित किया गया है।

कक्ष क्रमांक 917 के आसपास ग्राम जैसे- पूर्व में ग्राम मालीपुरा पश्चिम में ग्राम बामनपुरी, उत्तर में राजपुरा एवं दक्षिण में ग्राम निलीखाली स्थित है। इन ग्रामों के ग्रामीणों का उक्त कक्ष पर जैविक दबाव होने से क्षेत्र में अतिक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। प्रस्तावित स्थल में काली उपजाऊ मिट्टी एवं कई प्रजातियों के पर्याप्त जड़ भण्डार है, जिसमें मुख्य रूप से सागौन, धावड़ा, तेन्दू, खैर, पलाश, नीम, आदि प्रजाति उपलब्ध है, साथ ही उक्त प्रजातियों के पुनरुत्पादन भी बहुत अच्छा है। उक्त कक्ष में पत्थर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है।

प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील है। इसलिए क्षेत्र को अतिक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से बारबेड तार फेंसिंग कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे क्षेत्र अतिक्रमण से सुरक्षित करने के साथ साथ क्षेत्र में पौधा रोपण किये जाने से अच्छा वनक्षेत्र तैयार हो जायेगा।

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

वन मण्डलाधिकारी,
खरगोन वन मण्डल खरगोन

वन मण्डल अधिकारी,
खरगोन वन मण्डल खरगोन

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि बीट राजपुरा के कक्ष क्रमांक 917 मेन सतपुडा के अंतर्गत प्रस्तावित रकबा 41.37 हेक्टर का मेरे द्वारा दिनांक 19/01/19 को निरीक्षण कर लिया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में कोई भी रोपण कार्य नहीं लिया गया है एवं वर्तमान में अन्य वृक्षारोपण योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र मिश्रित वृक्षारोपण योजना हेतु उपयुक्त पाये जाने से चयनित किया गया।


वन परिक्षेत्राधिकारी

चिरिया

उक्त चयनित कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.37 हेक्टर का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 19/01/19 को किया गया। चयनित स्थल प्रस्तावित योजना हेतु उपयुक्त पाया गया।


उप वनमंडलाधिकारी
भीकनगांव

प्रस्तावित रकबा कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.37 हेक्टर का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 19/01/19 को किया गया। प्रस्तावित स्थल मिश्रित वृक्षारोपण योजना हेतु उपयुक्त पाया गया।


वन परिक्षेत्राधिकारी
सामान्य वनमंडलाधिकारी


वन परिक्षेत्राधिकारी
सामान्य वनमंडलाधिकारी

परियोजना का विवरण -

- (अ) परियोजना का नाम :- धिरीया से तितरान्या 33 के.वी लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण
 (ब) भारत सरकार का अनुमोदन :- कमांक दिनांक
 (स) प्रस्तावित वनभूमि का विवरण:-कक्ष कमांक 917 कुल रकबा 85 हे. कार्य योग्य रकबा 41372 हे.

2.	जिला	:-	खरगोन
3.	वनमण्डल	:-	खरगोन सामान्य वनमंडल
4.	परिक्षेत्र	:-	धिरीया
5.	तहसील	:-	धिरान्या
6.	विकासखण्ड	:-	धिरान्या
7.	विधानसभा क्षेत्र	:-	भीकनगांव
8.	ग्राम पंचायत	:-	राजपुरा
9.	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	धिरान्या
10.	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	:-	राजपुरा

स्थल विशेष जानकारी

1.	ग्राम वन समिति	:-	राजपुरा
2.	वनखण्ड एवं कक्ष कमांक	:-	मुख्य सतपुड़ा 917
3.	कक्ष का कुल क्षेत्रफल	:-	177.78 हेक्टर
4.	कार्य वृत्त	:-	बिगड़े वनो का सुधार
5.	उपचार / पातन श्रेणी	:-	बोन्दरान्या
6.	उपचार इकाई / कूप कं. एवं ड्यूतर्ष	:-	XI बोन्दरान्या 2020-21
7.	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:-	24 कि.मी.
8.	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण	:-	निरंक
9.	प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण	:-	पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया गया।
(अ)	योजना	:-	निरंक
(ब)	वर्ष	:-	निरंक
(स)	क्षेत्रफल	:-	निरंक
(द)	प्रजाति	:-	अनु- प्रजाति - निरंक संख्या - निरंक
(च)	वृक्षारोपण असफलता के कारण	:-	-
(छ)	वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण	:-	-

10.	गठित समिति का प्रकार	:-	ग्राम वन समिति राजपुरा
11.	समिति का मुख्यालय	:-	राजपुरा
12.	समिति में सम्मिलित गाँव	:-	राजपुरा
13.	समिति अध्यक्ष का नाम	:-	श्री. दशम पिता मेहताव
14.	परिसर रक्षक / वनरक्षक का नाम	:-	श्री. प्रेमलाल वास्करले वनरक्षक
15.	परिक्षेत्र सहायक का नाम	:-	श्री. सुंदरलाल सेन वनपाल
16.	समिति के सदस्यों की जानकारी	:-	निम्नानुसार है -

जाति	लघु कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु	म	योग	पु	म	योग	पु	म	योग	पु	म	योग
आदिवासी	297	304	601	7	9	16	0	0	0	306	311	617
हरिजन	3	2	05	0	0	0	0	0	0	3	2	05
पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	300	306	606	7	9	16	0	0	0	309	313	622

निरंक अधिकारी

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक संरचना)

दोषोपासी
एस्कोट
कलाना

कलाना/कलाना
उत्तर पश्चिम भाग पूर्व
5 से 10 डिग्री (5000 ई.)
10 से 35 डिग्री (3400 ई.)
30 से 40 डिग्री (3000 ई.)
40 से अधिक (2000 ई.)
योग = 177.00 हेक्टर

- (अ) पानी की निकासी
- (ब) भू-क्षरण
- (उ) चट्टानों का विवरण
- (ई) मिट्टी का प्रकार
- (एफ) वार्षिक वर्षा
- (जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)
- (एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र
- (आई) पथरीली मिट्टी
- वनक्षेत्र का विवरण
- (ए) वन का प्रकार एवं वनोपयोग का संक्षिप्त विवरण

सामान्य/मीन
सामान्य
उत्कृष्ट दूध (बियाना)
खान, मुरमिली
सामान्य वनी (700 वि.मी)
97 हेक्टर
35 हेक्टर
10 हेक्टर
ट्रोपिकल ड्राय डीयड्यूएस फॉरेस्ट

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से नीचे तक सीधे एवं व्यापक योग	21 से नीचे अधिक के वृक्ष
सोरोन एवं अन्य	12050	875
निहित वन	15900	1115
(ब) साइट चट्टानों का क्षेत्र		0.4 से कम
(जी) पूर्ण वन क्षेत्र का क्षेत्र		41,372 हेक्टर

टूट / पोलाई एवं गोलाई की गुणवत्ता

गोलाई

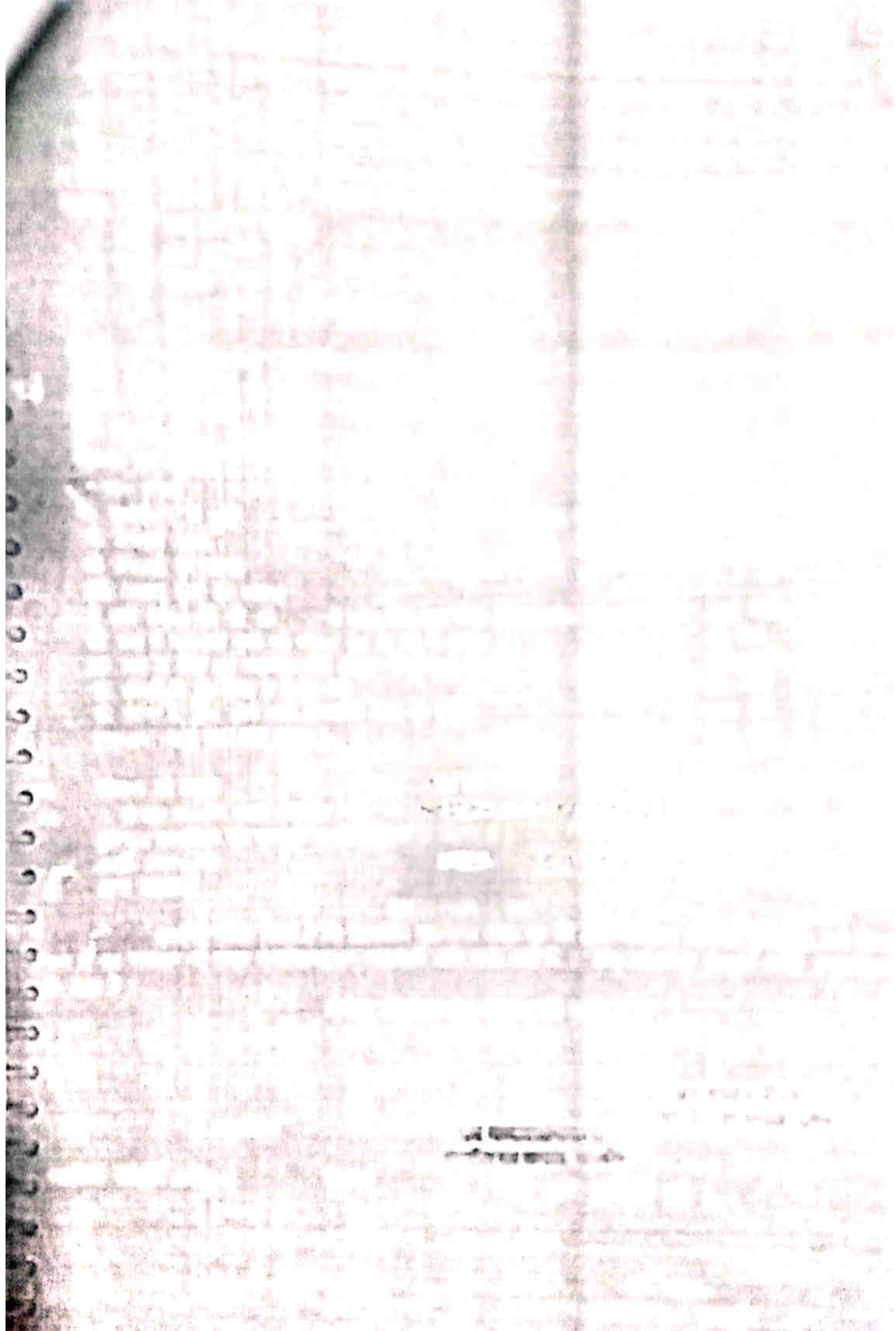
प्रजाति	20 से नीचे तक की	21 से 30	31 से 45	46 से 60	61 से 90	91 से 120
अडो टैडी	अडो टैडी	अडो टैडी	अडो टैडी	अडो टैडी	अडो टैडी	अडो टैडी
अडो टैडी	816	54	09			27
अडो टैडी						
अडो टैडी						

- (ड) अ-शक्य वन क्षेत्र का क्षेत्र
- (ई) आंशिक वनोपयोग योग्य क्षेत्र
- (एच) उत्कृष्ट वन (मुख्यतः लकड़ान)
- (जी) पूर्ण वनोपयोग योग्य क्षेत्र
- (एच) आंशिक वनोपयोग योग्य क्षेत्र
- (आई) अ-शक्य वन क्षेत्र का क्षेत्र
- (जे) नरम मिट्टी का क्षेत्र (वॉल) एवं
- (जी) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य-अयोग्य)
- (एल) जलवायु व

41,372 हेक्टर
41,372 हेक्टर
25 हेक्टर
41,372 हेक्टर
निरक
निरक
निरक
निरक
आसत

वन कन्ट्रोल अधिकारी

कलाना का एस्कोट कलाना



[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side. The text appears to be organized into several paragraphs and possibly a table or list structure.]

विभाजन के प्रावधानों हेतु प्रस्तावित कार्य की कमण्डलाधिकारी के द्वारा जारी चेक लिस्ट

57

10

खंडवा ☐ गुरहानपुर ☐ खरमोन ☒ दडवाह ☐

दडवानी ☐ रोंपवा ☐

नगरपालिका क्षेत्रीय:-

खंडवा ☐ पुनारसा ☐ पूर्व काली परि. काली ☐

हरसुद ☐ गुरहानपुर ☐ नैपानगर ☐ खरमोन ☐

भीकनगांव ☒ बिस्टान ☐ कडवाह ☐ मण्डवेर ☐

दडवानी ☐ पाटी ☐ सेनावा ☐ बलवाडी ☐

विशेष धनराशि:-

चिरीया

समिति का नाम:-

ग्राम वन समिति राजपुरा

कार्य आयोजना अवधि:-

वन सुरक्षा समिति

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2020 तक

(वर्ष 2010-11 से 2019-20)

कार्य का विवरण:-

कार्य समूह
संरक्षण ग्रुप ☐

कार्य वृत्त
संरक्षण कार्य वृत्त ☐

जैव विविधता ☐

नदियों के जलमयुहण क्षत्र संरक्षण ☐

प्रवरण राह सुधार ☐

सी. डब्ल्यू. आर. ☐

इम्यूकमेट ☐

वृक्षारोपण ☐

भू-जल संरक्षण ☐

विगडे गोशुल्क सुधार ☐

विगडे बासंठियों का सुधार ☒

पास तथा चारागाह विकास ☐

संरक्षण संकेत सुधार ☐

वास अतिव्यापी ☐

सलई अतिव्यापी ☐

पुनरुत्पादन ग्रुप ☐

पुनर्स्थापना ग्रुप ☒

आवर लापिंग ग्रुप ☐

प्रस्तावित योजना की अवधि:- वर्ष 2013-20 से 2021-22 तक

चयनित प्रस्तावित स्थल / कक्षा:- 917 राजपुरा

कक्षा का विवरण:-

1. कक्षा इतिहास अनुसार कक्षा का पूर्ण रकबा 177.78 है

2. कक्षा इतिहास अनुसार कार्य योग्य रकबा 177.78 है

3. पत गो लघारित रकबा

4. उपचार हेतु शेष रकबा 177.78 है

5. प्रोजेक्ट में प्रस्तावित रकबा 41.37 है

10. प्रशासकीय स्वीकृति प्रधान/अपर प्रधान मुख्य प्रशासक, भोपाल का नाम कर्नाक दिनांक

कमण्डलाधिकारी,
कक्षा क्षेत्र

प्रतीक रवीकृत
बजट मद

प्रधान/अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भोपाल का पत्र क्रमांक दिनांक
10-2406 (7882) [] 10-2406 (6699) [] 10-2406 (6699) []
61-2406 (विशेष घटक) []

रवीकृत आवंट

राशि रुपये

इस प्रोजेक्ट का

कुल लागत :- राशि रुपये में :-

~~14508898/-~~

चयनित स्थल

अक्षांश / देशांत :-

प्रोजेक्ट में चार

क्षेत्र का विवरण :-

चयनित क्षेत्र

ढलानवार

प्रस्तावित

का टाईप (हें.में)

विवरण (हें.में) कन्दूर ट्रेंच की संख्या

यू.एस-1/वी.एल-1

☐

10° से कम है.

यू.एस-2/वी.एल-2

☒

10° से 30° तक

यू.एस-3/वी.एल-3

☐

30° से 40° तक

यू.एस-4/वी.एल-4

☐

40° से अधिक

14 ड्रीड्रॉट मैप 1:1000 स्केल पर संलग्न है :-

हाँ/नहीं

15 समिति का ठहारा प्रस्ताव संलग्न है :-

हाँ/नहीं

16 राजपत्रित अधिपरी का स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है :-

हाँ/नहीं

17 प्राक्कलन में प्रस्तावित दर :-

सी.एफ. जॉबदर

पी.डब्ल्यू. डी.एस.ओ.आर.

आर.ई.एस. एस. ओ. आर.

हाँ/नहीं

18 वृक्षारोपण हेतु जाति का उल्लेख किया गया है :-

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिह्न

उप-वनमण्डलाधिकारी
उप-वनमण्डल भीकनगांव

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल चिह्न

जना का नाम :- केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

41.37 हेक्टेयर

15

रोपण स्थल :- राजपुरा

बीट का नाम :- राजपुरा

ग्राम वन समिति :- राजपुरा

कमांक 917

पातनश्रेणी:- बडी

जॉबदर - वनविभाग एवं सी.एस.आर दर

कुल रकबा 65 हेक्टर प्रस्तावित रकबा 41.37 हे.

प्रथम वर्ष 2019-20

प्रति मानव दिवस 257

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा 03 मीटर चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई, 03 मीटर चौड़ी पट्टी के समस्त वृक्षों पर पट्टे लगाना तथा 200-200 मीटर की दूरी पर खूंट गाड़कर उस पर खांचा बनाकर लिखना	65	प्रति हे.	0.45	115.65	7517.25
2	क्षेत्र सफाई कार्य	क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियां (लेन्टाना, छोड़कर) एवं खकरी (20 से.मी. तक) काटना - एकत्रित करना एवं जलाना (सघन क्षेत्र)	35	प्रति हे.	7	1799.00	62965.00
3	लेटाना उन्मूलन	लेटाना जड़ से खोदकर 100 मीटर तक नालों में या रिक्त स्थानों में जड़ उपर कर एकत्र करना	10	प्रति हे.	12.5	3212.50	32125.00
		ब. मध्यम क्षेत्र में	15	प्रति हे.	8	2056.00	30840.00
4	दूँठ/पोलार्ड ड्रेसिंग कार्य	दूँठ तथा अनुपयोगी वृक्षों को काटना (पुराने ऊँचे वृक्षों को 21-30	816	नग	0.015	3.855	3146
		31-45	54	नग	0.028	7.196	389
		46-60	9	नग	0.048	12.336	111
		61-90	0	नग	0.080	20.56	0
		दूँठ अभिलेखन कार्य	879	प्र.से.	0.400	102.8	904
5	गड़ड़ा खुदाई	घेराबंदी कार्य (बारबेड वायर फेंसिंग) 3800 र.मी.					
		1. पोल गाड़ने के लिये गड़ड़ा खुदाई कार्य					
		अ. गड़ड़ा एलाईमेंट कार्य	1672	प्रति ह.	2.5	642.50	1074
		ब. गड़ड़ा खुदाई कार्य 30X30X45	1672	प्रति.से.	4	1028.00	17188
	एल.यू.एन आइटम	2. सीमेन्ट पोल कय एवं गाड़ना					
		अ. सीमेन्ट पोल कय (पोल से पोल की दूरी 2.50X2.50)					
		गड़ड़े हेतु 1680+ सपोर्ट हेतु (10 प्रतिशत) 168	1672	प्रति नग	0	265.00	443080.00
		ब. सीमेन्ट पोल गड़ड़ों तक सिरबोझ से परिवहन	1672	प्रति नग	0	5.00	8360.00
	SOR N. 4.1.1.4 Page n. 15	स. सीमेन्ट पोल गाड़ना सीमेन्ट काफिट 1:3:6	60.19	प्रति घ.मी	0	3890.00	234147
		गड़ड़ा साईज 30X30X45से.मी.0=0.040 घ.मी.					
		-पोल साईज 10X10X45से.मी.0=0.004 घ.मी.					
		प्रति पोल सीमेन्ट काफिट कार्य -					
		0=0.036 घ.मी. X 1672 पोल = 60.19 घ.मी.					
	-	3.चैनलिंग/बारबेड वायर कय एवं लगाना					
		चैनलिक जाली 1.20 मीटर ऊंचाई	4560	वर्ग मी.		90.00	410400.00
		अ. बारबेड वायर कय करना					
		3800 र.मी X 3 लाईन = 11400 र.मी / 6 =1900					
		बारबेड वायर कय करना (6 मीटर =1 किलो)	1900	प्रति किलो	0	112.00	212800.00
		स. यूनेल्स क्रय प्रति पोल 03 यूनेल्स 3X1672 = 5016 नग	101	प्रति किलो	0	90.00	9090.00
		5016X0.020= 101 kg					
		द. बारबेड वायर एवं जाली सीमेन्ट पोल में लगाना	3800	र.मी.	0.160	41.12	156256.00

	खुदा जल	1 तलाई निर्माण कार्य	3	नग		16	835000.00
		2. आर.एम.एस. निर्माण	4	नग			1385000.00
		3 जल संरचनाएं (6X3X0.45 m)	10	नग	4.30	1105	11051
		4. चेक डेम निर्माण	75	घ.मी.	1.00	257	19275
7	स्टेकिंग कार्य	गड्डे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं मुने से गड्डे हेतु निशान लगाना (लाईन से लाईन की दूरी) (1) बांस हेतु 4X4 मीटर, (2) मिश्रित हेतु 3X2 मीटर.	41370	प्रति हजार	2.50	642.50	26580.23
8	गड्डा खुदाई पौधा रोपण हेतु	सभी प्रकार की भूमि के लिए 4. पौधा रोपण हेतु गड्डा खुदाई कार्य (साईज में) (1) 45X45X45 से.मी.(काली/लाल मिट्टी) (2) 45X45X45 से.मी.(गुरुम/पथरिली मिट्टी) में मशीन द्वारा (3) 45X45X45 से.मी.(गुरुम/पथरिली मिट्टी)	6372 15000 20000	प्र. री. प्र. गड्डा प्र. री.	5.00 0.00 7.00	1285.00 14.66 1709.00	81880.20 219900.00 359800.00
9	मिट्टी परिवहन	अ. उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण 54.00 प्रति घ.मी. मिट्टी का परिवहन 139.68 प्रति घ.मी. (दूरी 5 कि.मी. तक) योग - 193.68 प्रति घ.मी.	1885	प्र. घ.मी.	0	193.68	365086.80
10	सी.एस.आर. 301(क) सी.एस.आर. 1902(ठ) गोबर खाद क्रय (बाजार दर)	जैविक खाद तैयार करना एवं गड्डो तक परिवहन सहित - 500 ग्राम प्रति गड्डा 41372X 0.500 = 20685 कि.ग्राम	20685	कि.ग्राम	0	20.00	413700.00
11	नीमखली एवं कीटनाशक क्रय (बाजार दर)	द. नीमखली खाद गड्डो में डालना ग्राम प्रति गड्डा क्रय एवं परिवहन - 41372X100 = 4137 कि.ग्राम	100 4137	प्र. कि.ग्राम	0	20.00	82740.00
12	मिट्टी का मिश्रण गड्डो में	इ. संग्रहित उपजाऊ मिट्टी एवं गोबर खाद मिश्रण कर गड्डो में डालना	41372	प्र. री.	2	514.00	212652.08
13	पौधा क्रय	पौधा क्रय मय केज्युल्टी सहित।	49647	पौधे	-	10.00	496470.00
14	गेट क्रय (बाजार दर)	लोहे का गेट क्रय एवं पिल्लर बनाना	1	नग	-	-	40000.00
15	अस्थायी मार्ग निर्माण	वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर निरीक्षण एवं पौधा रोपण परिवहन हेतु मार्ग निर्माण (दुर्गम पहाड़ी)	5	प्रति कि.मी.	30.00	7710.00	38550.00
16	बोर्ड क्रय	साईन बोर्ड क्रय एवं लिखाई पुताई मय सामग्री -	1	नग	-	-	3000.00
17		लेबर हट निर्माण	1	नग	-	-	40000.00
18	अन्य व्यय/सामग्री	अन्य व्यय-(चूना, रस्सी, गेरु, डामर, पेट, टेप, प्रचार-प्रसार आदि)	LS	LS	-	-	9720
		कुलयोग	0	-	0	0	6270797
		6 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					376248
		महायोग					6647045

उप वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डलाधिकारी

वन परिक्षेत्राधिकारी

दिनांक

द्वितीय वर्ष 2020-21

अ.क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पीछा परिवहन	(2) वनरोपणी से पीछा परिवहन 20 प्रतिशत मृत पीछों के बदलने सहित। दूरी 60 कि.मी. से परिवहन	49847	प्रति पीछा	0	5.00	249235.00
2	सिरबोझ से पीछा परिवहन	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पीछों को गड़ढो तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	49847	प्रति पीछा	0.4	102.8	51037.12
3	पीछा रोपण	पीछा रोपण कार्य रोपण कार्य (45X45X45) से.मी.	41372	प्रति पीछा	1.8	462.6	191388.87
4	उर्वरक खाद	रासायनिक खाद क्रय - (1) गुरिया 20 ग्राम प्रति पीछा 8.00 किग. क्रय बाजार दर (2) डी.ए.पी. 20 ग्राम प्रति पीछा 8.00 किग.	17	प्रति बैग		500	8500.00
			17	प्रति बैग		1300	22100.00
5	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई, धाला दुरुस्त कराई, मृत पीछे बदलना एवं रासायनिक खाद किटनाशक डालना अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में स. तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति पीछा	1.250	321.25	132907.58
			41372	प्रति पीछा	1.000	257	106328.04
			41372	प्रति पीछा	1.000	257	106328.04
			4137	प्रति पीछा	1.500	385.5	15948.14
6	वृक्षारोपण क्षेत्र में मृत पीछे	मृत पीछे के स्थान पर नये दोना पीछे लगाना, गड़ढा खादना एवं निंदाई करना सम्मिलित है					
7	लेन्टाना मोपिंग(विरल)	लेन्टाना के नवीन उगे एवं पूर्ववर्ती खोदकर निकाले गये अवशेष से पुनः उत्पन्न लेन्टाना के पीछों को उखाड़ना	10	प्रति है.	8	2056.00	20560.00
	पीछों को अंगीकृत करना	प्राकृतिक रूप से उगे हुए पीछों में धाला बनवाई कार्य करना, समतल, गोल एवं ढलान वाले क्षेत्र में 0.5 मीटर अर्द्धव्यास में अर्द्धचंद्राकार धाला बनाना। (01 हेक्टर में 50 पीछे के हिसाब से 70 हेक्टर में 3500 पीछे)	3250	प्रति पीछा	1.000	257	8353
9	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पीछों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टेंकर से माध्यम से पानी परिवहन	200	प्रति टेंकर	-	500	100000.00
10		वृक्षारोपण में घाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 आंमिक द्वारा 04 माह तक आवश्यकतानुसार	180	दि.वस	-	257	46260.00
11	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी घाटी, भाव में 03 मीटर घाटी काटाई, सफाई ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	18	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	5782.50
			18	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	2891.25
12	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की काटाई सफाई 06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई, पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65
			4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34
13	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य 09 माह (02 आंमिक द्वारा) 5-40 मा दि.वस	18	माह	30	7710	138780.00

कुलयोग रोपण वर्ष 2020-21

12 प्रतिशत मूल्यवृद्धि

महायोग

4683.73

1213692.72

145643.13

1359335.85

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांववनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोनवन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

तृतीय वर्ष 2021-22

अ.क.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रुपये	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पौधा क्रय एवं रोपण से परिवहन	(1) पौधा क्रय 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित (2) वनरोपणी से पौधा परिवहन 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित।	4137	प्रति पौधा	0	10.00	41370.00 ✓
			4137	प्रति पौधा	0	5.00 ✓	20685.00 ✓
2	सिरबोझ से पौधा परिवहन	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़डो तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	4137	प्रति सैकडा	0.4	102.8	4252.84 ✓
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में मृत पौधों	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु पौधा रोपण	4137	प्रति सैकडा	1.500	385.5	15948.14 ✓
4	उर्वरक खाद क्रय बाजार दर	रासायनिक खाद क्रय - (1) यूरिया 20 ग्राम प्रति पौधा 800 किव. (2) डी.ए.पी. 20 ग्राम प्रति पौधा 8.00 किव.	17	प्रति बैग		500	8500.00 ✓
			17	प्रति बैग		1300	22100.00 ✓
5	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में स. तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.250	321.25	132907.55 ✓
			41372	प्रति सैकडा	1.000	257	106326.04 ✓
			41372	प्रति सैकडा	1.000	257	106326.04 ✓
	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टैंकर के माध्यम से पानी परिवहन	200	प्रति टैंकर	—	500	100000.00 ✓
		वृक्षारोपण में पाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 श्रमिक द्वारा 03 माह तक आवश्यकतानुसार	180	दिवस	—	257	46260.00 ✓
6	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	3855.00 ✓
			10	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	1927.50 ✓
7	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की कटाई सफाई 06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65 ✓
			4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34 ✓
8	फेंसिंग मरम्मत	फेंसिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना टूटे खम्बे को बदलना आदि	80	मा.दि.	—	257	20560.00 ✓
9	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा सुरक्षा 12 माह तक) 720 मानव दिवस	24	माह	30	7710	185040.00 ✓

अन्य आकस्मिक व्यय					1342.61
कुलयोग तृतीय वर्ष 2021-22					821016.70
18 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					147783.01
महायोग					968799.71

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

वन परिश्रेत्राधिकारी
चिरीया

चतुर्थ वर्ष 2022-23

अ.क.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	पौधा क्रय एवं	(1) पौधा क्रय 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित	4137	प्रति पौधा	0	10.00	41370.00
2	रोपण से परिवहन	(2) वनरोपणी से पौधा परिवहन 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित।	4137	प्रति पौधा	0	5.00	20685.00
3	सिरबोझ से पौधा परिवहन	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़्डो तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	4137	प्रति सैकडा	0.4	102.8	4252.84
4	वृक्षारोपण क्षेत्र में मृत पौधों बदलना	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु पौधा रोपण	4137	प्रति सैकडा	1.500	385.5	15948.14
5	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई	41372	प्रति सैकडा	1.250	321.25	132907.55
		अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.000	257	106326.04
		ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	200	प्रति टेकर	—	500	100000.00
	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टेकर के माध्यम से पानी परिवहन	180	दिवस	—	257	46260.00
6	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई	10	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	3855.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	1927.50
7	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की कटाई सफाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65
		06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34
8	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा) 720 मानव दिवस	24	माह	30	7710	185040.00
		अन्य आकस्मिक व्यय					1083.51
		कुलयोग चतुर्थ वर्ष 2022-23					663271.56
		24 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					159185.17
		महायोग					822456.74

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

वन परिश्रेत्राधिकारी
चिरीया

पंचम वर्ष 2023-24

20

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई					
		अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकड़ा	1.250	321.25	132907.55
		ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकड़ा	1.000	257	106326.04
		स. तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकड़ा	1.000	257	106326.04
	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टैंकर के माध्यम से पानी परिवहन	200	प्रति टैंकर	-	500	100000.00
		वृक्षारोपण में पाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 श्रमिक द्वारा 03 माह तक आवश्यकतानुसार	180	दिवस	-	257	46260.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई	10	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	3855.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	1927.50
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाइन की कटाई सफाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65
		06 मीटर चौड़ी लाइन की जलाई/पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34
4	फेंसिंग मरम्मत	फेंसिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना टूटे खम्बे को बदलना आदि	40	मा.दि.	1	257	10280.00
5	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा) 720 मानव दिवस	24	माह	30	7710	185040.00
		अन्य आकस्मिक व्यय					1168.58
		कुलयोग पंचम वर्ष 2023-24					697706.70
		30 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					209312.01
		महायोग					907018.71

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

षष्ठम वर्ष 2024-25

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई					
		अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकड़ा	1.250	321.25	132907.55
		ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकड़ा	1.000	257	106326.04
		स. तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकड़ा	1.000	257	106326.04
	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टैंकर के माध्यम से पानी परिवहन	200	प्रति टैंकर	-	500	100000.00
		वृक्षारोपण में पाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 श्रमिक द्वारा 03 माह तक आवश्यकतानुसार	180	दिवस	-	257	46260.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर	10	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	3855.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	1927.50
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाइन की कटाई सफाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65
		06 मीटर चौड़ी लाइन की जलाई/पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34
4	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (01 श्रमिक द्वारा) 360 मानव दिवस	12	माह	30	7710	92520.00

कुलयोग षष्ठम वर्ष 2024-25

859.48

36 प्रतिशत मूल्यवृद्धि

488271.56

महायोग

175777.76

664049.32

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

सप्तम वर्ष 2025-26

अ.क.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		रा
					मा.दि.	रुपये	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर	10	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	3855.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	1927.50
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की कटाई सफाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65
		06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34
3	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (01श्रमिक द्वारा)360 मानव दिवस	12	माह	30	7710	92520.00
		अन्य आकस्मिक व्यय					1081.51
		कुलयोग सप्तम वर्ष 2025-26					103000.00
		42 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					43260.00
		महायोग					146260.00

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

अष्टम वर्ष 2026-27

अ.क.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		रा
					मा.दि.	रुपये	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी	10	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	3855.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	1927.50
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की कटाई सफाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65
		06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34
3	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (01श्रमिक द्वारा)360 मानव दिवस	12	माह	30	7710	92520.00
		अन्य आकस्मिक व्यय					1081.51
		कुलयोग अष्टम वर्ष 2026-27					103000.00
		48 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					49440.00
		महायोग					152440.00

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

नवम वर्ष 2027-28

अ.क.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर	10	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	3855.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	1927.50
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाइन की कटाई सफाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65
		06 मीटर चौड़ी लाइन की जलाई/पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34
3	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (01श्रमिक द्वारा)360 मानव दिवस	12	माह	30	7710	92520.00
अन्य आकस्मिक व्यय							1081.51
कुलयोग नवम वर्ष 2027-28							103000.00
54 प्रतिशत मूल्यवृद्धि							55620.00
महायोग							158620.00

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

दसम वर्ष 2028-29

अ.क.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर	10	प्रति कि.मी.	1.500	385.5	3855.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	192.75	1927.50
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाइन की कटाई सफाई	4.2	प्रति कि.मी.	2.250	578.25	2428.65
		06 मीटर चौड़ी लाइन की जलाई/पुनः जलाई	4.2	प्रति कि.मी.	1.100	282.7	1187.34
3	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (01श्रमिक द्वारा)360 मानव दिवस	12	माह	30	7710	92520.00
अन्य आकस्मिक व्यय							1081.51
कुलयोग दसम वर्ष 2028-29							103000.00
60 प्रतिशत मूल्यवृद्धि							61800.00
महायोग							164800.00

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

केम्पा मद के अंतर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.वी. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण
41.372 हेक्टेयर ✓

गोपवारा

वर्ष	विवरण	राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
प्रथम वर्ष 2019-20	क्षेत्र तैयारी	6647045 ✓	160665
द्वितीय वर्ष 2020-21	रोपण कार्य	1359336 ✓	32856
तृतीय वर्ष 2021-22	रखरखाव	968800 ✓	23417
चतुर्थ वर्ष 2022-23	रखरखाव	822457 ✓	19880
पंचम वर्ष 2023-24	रखरखाव	907019 ✓	21923
षष्ठम वर्ष 2024-25	रखरखाव	664049 ✓	16050
सप्तम वर्ष 2025-26	रखरखाव	146260 ✓	3535
अष्टम वर्ष 2026-27	रखरखाव	152440 ✓	3685
नवम वर्ष 2027-28	रखरखाव	158620 ✓	3834
दसम वर्ष 2028-29	रखरखाव	164800 ✓	3983
	योग :-	11990826 ✓	289828
परिगणित राशि से 5 प्रतिशत आस्थामूलक कार्यों की राशि		599541 ✓	
परिगणित राशि से 1 प्रतिशत मानव संसाधन विकास कार्यों की राशि		119908 ✓	
परिगणित राशि से 04 प्रतिशत अनुश्रवण/मुल्यांकन की राशि		479633 ✓	
कुल योग		13189908	
10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क		1318990 ✓	
महायोग		14508898 ✓	
कुल प्रति हेक्टर व्यय		350694 ✓	

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
चिरीया

उपवनमंडल अधिकारी
भीकनगांव

वनमण्डलाधिकारी,
खरगोन

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश आदेश

क्रमांक/व्यय/2019/ 281

खण्डवा, दिनांक 18-10-2019

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/2019/163 दिनांक 02.04.2019 निरस्त किया जाता है। वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत चिरीया से तितराण्या 33 के.वी. विद्युत लाइन से प्रभावित 20.686 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 41.372 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वनमण्डल अधिकारी खरगोन द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/6470 दिनांक 26.08.2019 से प्रोजेक्ट प्रस्तुत की है। म.प्र. बुक ऑफ फाइनैसियल पावर 1995 के वाल्यूम-11 के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/03/नियम/04 ताल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की तकनीकी स्वीकृति की जाती है :-

क्र.	रकबा (हेक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय										योग
		I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	
1	41.372	6647045	1359336	968800	822457	907019	664049	146260	152440	158620	164800	11990826
प्रति हेक्टेयर रोपण व्यय												289829
आस्थामूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत												599541
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत												119908
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत												479633
योग राशि :-												13189908
10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क												1318990
महायोग :-												14508898

(एस.एस.रायत)

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

पृ.क/व्यय/2019/ 8318

खण्डवा, दिनांक 18-10-2019

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन की ओर आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/6470 दिनांक 26.08.2019 संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्राक्कलन की एक प्रति।

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

11.10.2019

Khambhaya

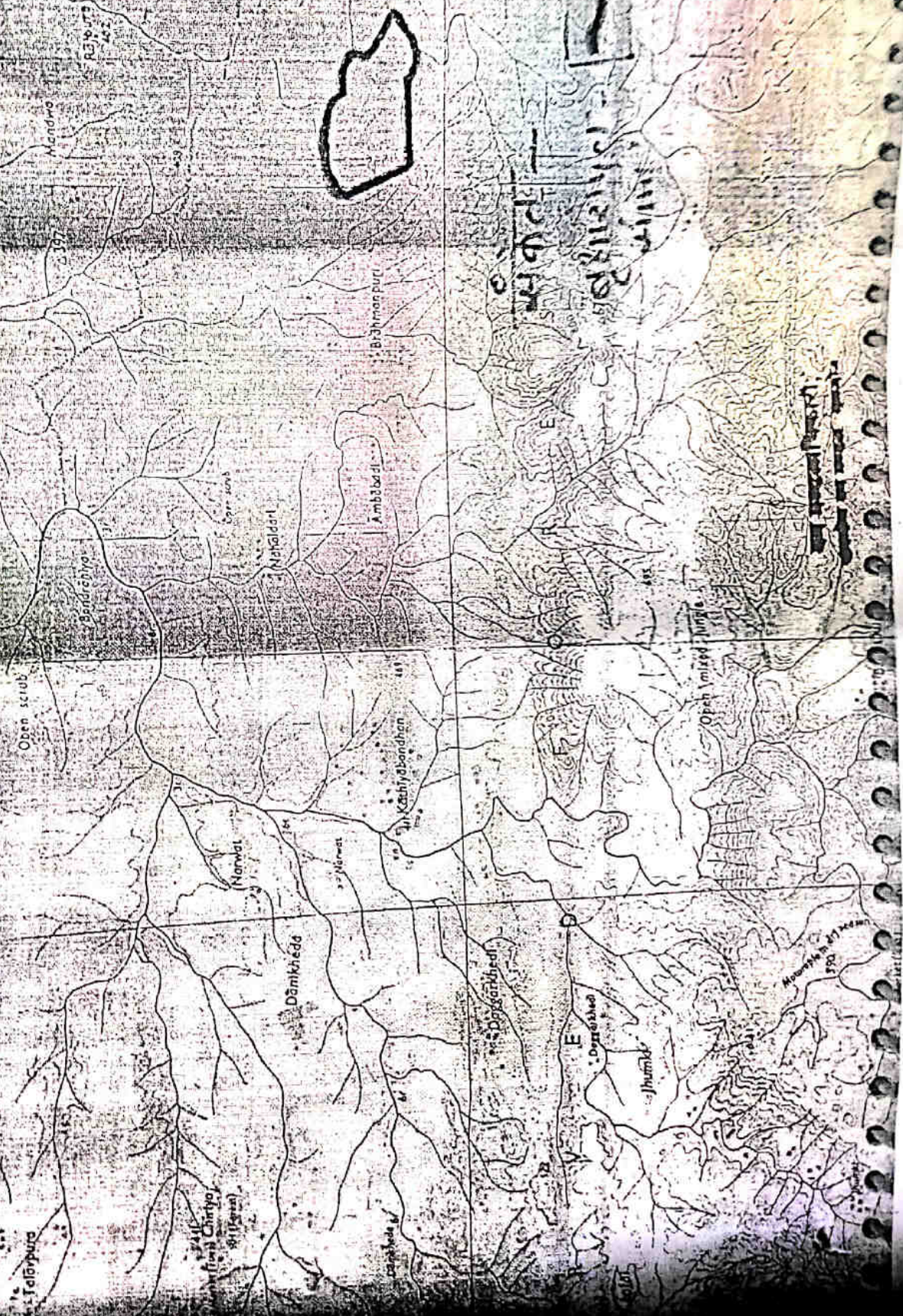
Khambhaya

Khambhaya

大

大

大



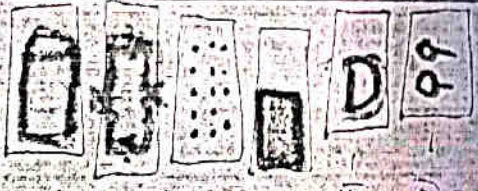
$$1.15 \times 10^6 \text{ cm} = 150 \text{ m}$$

COMP. NO.: 917

KHARGONE DIVISION

CHURRYA RANGE

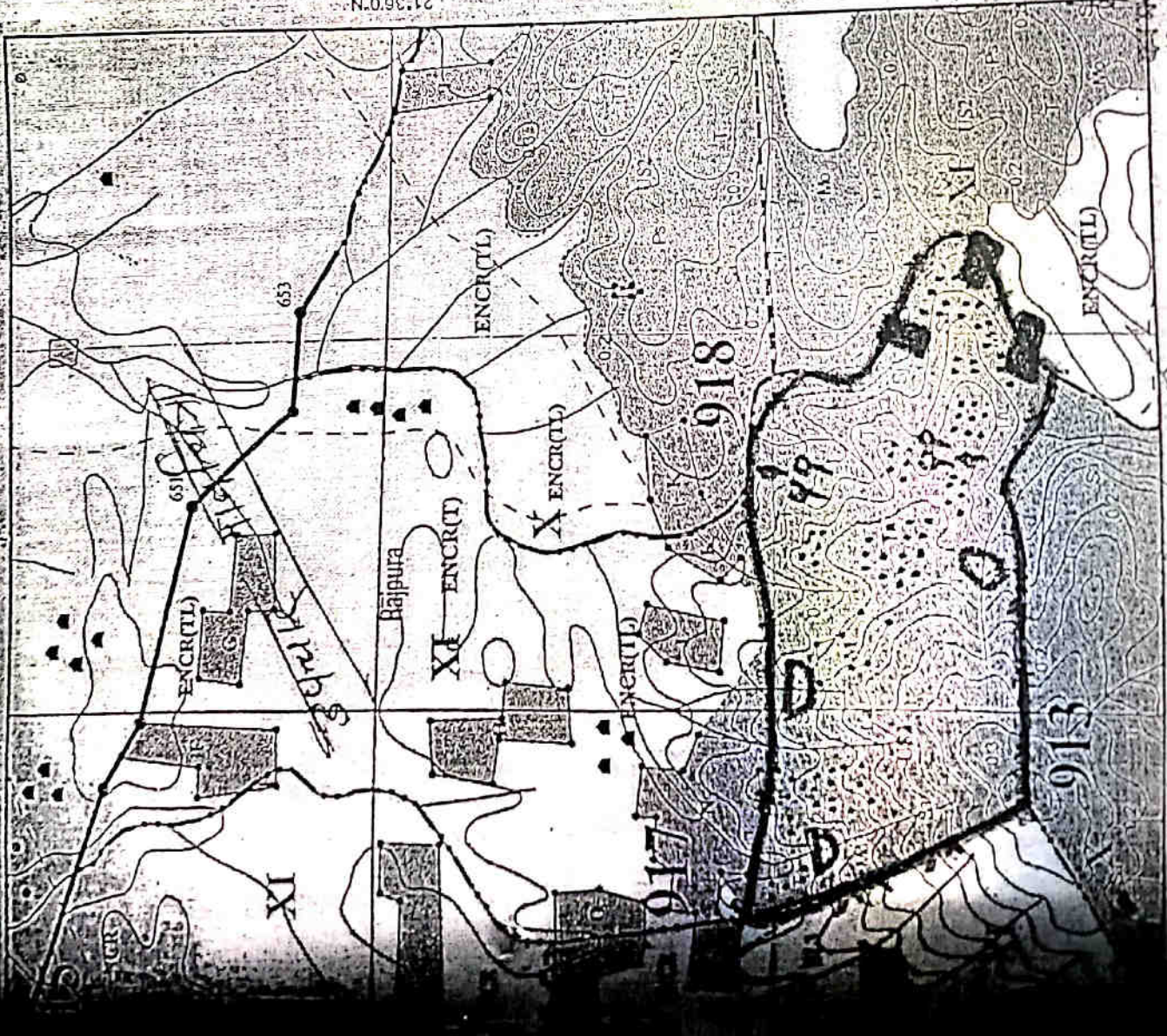
BLOCK NAME - MAIN SATPURA RE
NETT AREA - 284.30 HEC. 87050



1918

बुद्ध पं. शिका
निर्दिष्ट

~~multistall~~
single



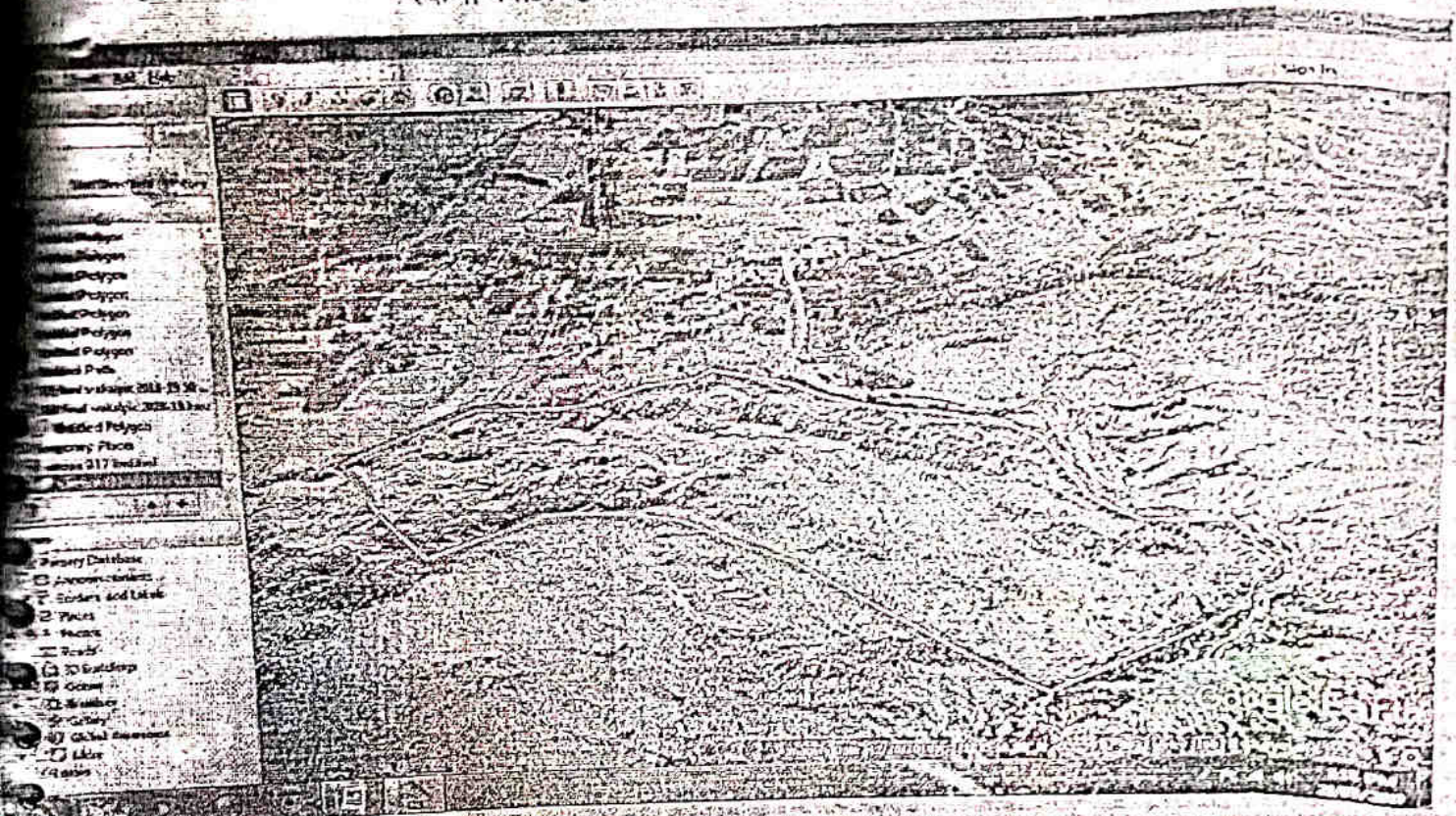
3.055.51

75°59'30"E

[illegible]

54

वन फाईल चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 राजपुरा
रकबा 41.37 हेक्टर वर्ष 201. -



वन परिक्षेत्र अधिकारी,
राजपुरा वन परिक्षेत्र, क.व्ही.

चिरीया
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

वन परिक्षेत्राधिकारी,
राजपुरा वन परिक्षेत्र, क.व्ही.

वनमण्डल - खरगोन

नित क्षेत्र के अधिकतम फैलाव बिन्दुओं के निर्देशांक वैकल्पिक सूत्रावली- कब
 क्रमांक-917 रकबा-85 हे० कार्य योग्य रकबा 41.372 हे०
 बीट- राजपुरा सबरैज- झिरम्या पश्चिम- चिरीया

1 N 21° 35' 25.00"
E 75° 58' 44.22"

2 N 21° 35' 30.34"
E 75° 58' 50.71"

3 N 21° 35' 30.71"
E 75° 58' 56.81"

4 N 21° 35' 33.61"
E 75° 59' 6.56"

5 N 21° 35' 30.75"
E 75° 59' 16.47"

6 N 21° 35' 27.58"
E 75° 59' 27.51"

7 N 21° 35' 21.63"
E 75° 59' 30.06"

8 N 21° 35' 18.62"
E 75° 59' 37.20"

9 N 21° 35' 16.55"
E 75° 59' 38.98"

10 N 21° 35' 13.41"
E 75° 59' 35.45"

11 N 21° 35' 09.00"
E 75° 59' 24.20"

12 N 21° 35' 01.20"
E 75° 59' 15.00"

13 N 21° 35' 07.00"
E 75° 59' 10.00"

14 N 21° 35' 01.00"
E 75° 59' 05.00"